प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 34 / 2023

अनवान : –

1. थानेश्वर लाल पुत्र जीवनराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जीवनराम उर्फ जीवन पुत्र भगवानदत जाति ब्राहमण निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. वेदप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति ब्राहमण निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. पंकज प्रकाश शर्मा पुत्र जीवन राम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सरिता शर्मा पुत्री जीवनराम पत्नी सुनिल कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 5 भादरा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**

श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक: 20.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 125 / 101 की कुल 6.0720है0 भूमि व रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 45 / 45 की कुल 2.4540है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 4 जो कि वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी स0 2 ता 4 की प्रतिवादी स0 1 के साथ हक हिस्सा की भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारि[illegible] मौजा 7 बारानी की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 ने वादी एवं प्रतिवादी [illegible] जा 19 एनटीआर की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 ने स्वयं ने अ[illegible] प्रतिवादी सं0 1 ने [illegible] कृषि भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अपना हिस्सा स्वीकार किया है इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी व सदस्य प्रमाण आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार रोही मौजा 7 बारानी की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 ने वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को दे दी व रोही मौजा 19 एनटीआर की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 ने स्वयं ने अपने नाम रख ली । प्रतिवादी सं0 1 ने अन्य कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार किया है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 125/101 की कुल 6.0720है0 भूमि व रोही [illegible] नोहर के खाता स0 45/45 की कुल 2.4540है0 भूमि प्रतिवादी [illegible] है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि [illegible] द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी [illegible] 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 125/101 की कुल 6.0720है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बरवाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 34 / 2023
अनवान : –

1. थानेश्वर लाल पुत्र जीवनराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जीवनराम उर्फ जीवन पुत्र भगवानदत जाति ब्राहमण निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. वेदप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति ब्राहमण निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. पंकज प्रकाश शर्मा पुत्र जीवन राम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सरिता शर्मा पुत्री जीवनराम पत्नी सुनिल कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न0 5 भादरा तहसील भादरा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 34 सन 2023 निर्णय दिनांक 20.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 125 / 101 की कुल 6. 0720है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बरवाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested